PROPOSED LAYOUT PLAN FOR RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT VILLAGE :NAYAKHERA, TEH. LADPURA, DIST. KOTA (RAJ.)KHASRA NO.-507,508,509,511,514, 522,522/563,607/523,&523/1

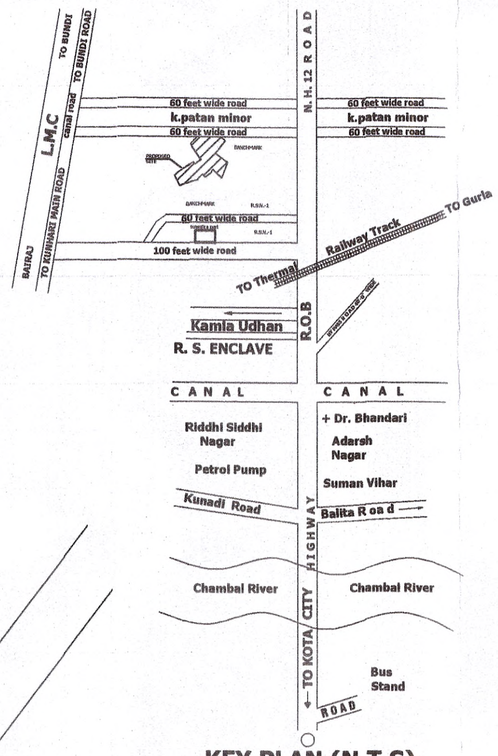

KEY PLAN (N.T.S)

SCALE = 1CM = 9.0 MT.

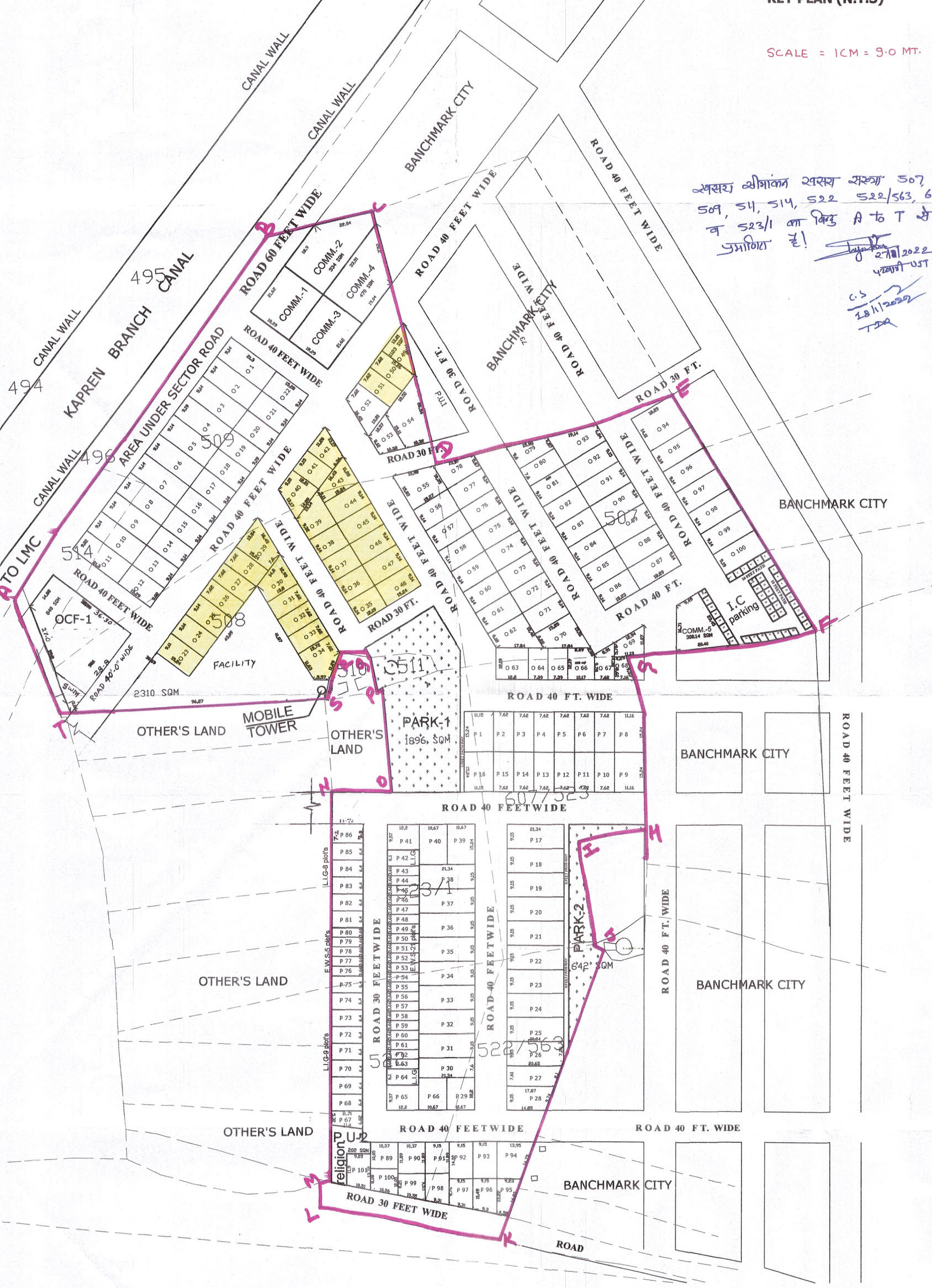

खसरा संशोधन खसरा संख्या 507, 508 509, 511, 514, 522 522/563, 607/523 व 523/1 का विन्यु A to T से प्रमाणित है!

27/11/2022 फरमानी UJT

28/11/2022 TDP

27/11/2022 ELR

S.NO	PARTICULARS	AREA IN SQM	AREA %	
1.	PLOT - 156 NOS	23011	45.93%	51.06%
	E.W.S - 26 NOS L.I.G - 19 NOS	2570	5.13%	
	TOTAL PLOT AREA	**25581**	**51.06%**	
2.	I.C (NO. OF SHOP-42)	910	1.82%	6.00%
3.	COMM.	2095	4.18%	
4.	PARK	2538	5.07%	**15.08%**
5.	P.U	2512	5.01%	
6.	O.C.F	840	1.68%	
7.	SECTOR ROAD	1662	3.32%	
8.	ROAD AREA	13962	27.86%	
	TOTAL	**50100**	**100%**	

N

SCALE = 1cm=09mtr

संशोधित ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनार्थ) खसरा नं0 507 से 509 व 511, 514, 522, 522/563, 523/1, 607/523, ग्राम नयाखेड़ा क्षेत्रफल 50100 वर्गमीटर **(Mark-A to T)**

ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 23/9/2021 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

Residential	I.C.	Comm.	Park
25440.6 Sqm 50.78 %	910 Sqm 1.82 %	2095 Sqm 4.18 %	2538 Sqm 5.07 %
Facility	**O.C.F.**	**Under Sector Road**	**Road Area**
2512 Sqm 5.01 %	840 Sqm 1.68 %	1662 Sqm 3.32 %	14102.4 Sqm 28.14 %
			Total Area – 50100 SQM

(i) पहुंच सड़क का मार्गाधिकार न्यूनतम 60 फीट रखा जावे।

(ii) टाउनशिप पॉलिसी-2010 की पालना सुनिश्चित् की जावे।

(iii) योजना में दर्शाए गए EWS/LIG के भूखण्डों का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार करना होगा।

(iv) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत् टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।

(v) नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।

(vi) नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/8/2020 के अनुसार प्रावधान रखे जाने होंगे।

03/02/2022

कनिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट :-

योजना के आंतरिक विकास के ऐटे नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं0 O-023 से O-051 कुल भूखण्ड 29 क्षेत्रफल 3656 वर्गमीटर आरक्षित किये जातें है, जिसे पीले रंग से दर्शाया गया है। 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवावें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।

02/2/22

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

S.NO	KHASRA NO	AREA IN HACT.
1.	507	1.06
2.	508	0.97
3.	509	1.00
4.	511	0.02
5.	514	0.06
6.	522	0.40
7.	522/563	0.38
8.	607/523	0.56
9.	523/1	0.56
10.		
11.		
12.		
	TOTAL	**5.01**

TOTAL AREA 5.01 HACT.